97/17 जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण सं0 97/2017 ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा केसरीसिंहपुर जरिये आर.आर.एल.कलस्टर, श्रीगंगानगर बनाम 1–मै0 कौशिक हैल्थकेयर प्रो0 मनदीप सिंह वार्ड न0 13 गवर्नमेंट होस्पिटल रोड़, केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरनपुर 2–मनदीप सिंह 3–विष्णुकुमार कौशिक 4–सज्जन कुमार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

17.01.2018

वकील प्रार्थी बैंक उपस्थित है। उनके द्वारा प्रार्थी बैंक की तरफ से प्रार्थना पत्र दिनांक 17.01.2018 प्रस्तुत कर प्रार्थना की गई कि प्रार्थी बैंक की ओर से अप्रार्थीगण के विरूद्ध उनका ऋण खाता एनपीए होने के कारण बंधक रखी गयी सम्पति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिए सरफेसी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी बैंक ऋणी हेल्थकेयर के विरूद्ध आगे कार्यवाही नही करना चाहते है अर्थात नॉट प्रेस करते है। अतः इसी आधार पर प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जावे।

मैने उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि यह प्रा0 पत्र ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर द्वारा ऋणी मैसर्स कौशिक हेल्थकेयर प्रो0 मनदीप सिंह व जमानतदार विष्णुकुमार कौशिक, सज्जन कुमार के विरूद्ध धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत प्रस्तुत कर ऋण की एवज में गारन्टर सज्जन कुमार द्वारा बन्धक रखी गयी अपनी सम्पति भूखण्ड संख्या 31, बिनोवा बस्ती, पायल सिनेमा रोड़, श्रीगंगानगर पैमायशी 200 वर्गफुट का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए पेश किया था।

चूंकि अब प्रार्थी बैंक प्रकरण को आगे नही चलाना चाहता है अर्थात नॉट प्रैस किया है। अतः इसी आधार पर प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 17.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर